न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–06, मथुरा

पीठासीन अधिकारी– श्रीमती नीलम ढाका (एच.जे.एस)

UPMT010058132019

सत्र परीक्षण संख्या–236/2019

उत्तर प्रदेश राज्य . .....**अभियोजन पक्ष**

प्रति

1. विज्ञो उर्फ विजेन्द्र पुत्र करन सिंह, उम्र करीब 35 वर्ष
2. राधे पुत्र करन सिंह, उम्र करीब 30 वर्ष

निवासीगण–कमई, थाना बरसाना, जिला मथुरा।

.....**अभियुक्तगण**

मुकदमा अपराध संख्या–180/2012
धारा–302/34, 201, 120B भा०द०सं०
थाना–महावन, जिला–मथुरा।

निर्णय

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा द्वारा अभियुक्तगण विज्ञो उर्फ विजेन्द्र व राधे के विरूद्ध अपराध संख्या –180/2012 अंतर्गत धारा– 302, 201, 120B, 34 भा०दं०सं० का प्रकरण सत्र न्यायालय प्रेषित किये जाने पर सत्रवाद संख्या–236/2019 के रूप में पंजीकृत हुआ। उपरोक्त सत्र परीक्षण वाद माननीय सत्र न्यायाधीश के आदेश से अन्तरित होकर इस न्यायालय को विचारण हेतु प्राप्त हुआ।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी के पिताजी वासी उर्फ वासुदेव पुत्र गंगाधर, उम्र करीब 70 साल, करीब 3 साल से राजीव बंसल निवासी–मथुरा गोकुल महावन मार्ग पर स्थित बृजगाँव गौशाला में चौकीदारी की नौकरी करते थे। दिनांक – 22/23.07.2012 की बिती रात में किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने उनके हाथ पैर रस्सी से बाँधकर, गला घोंटकर हत्या कर दी है, जिसकी सूचना गौशाला के दूसरे नौकर निहाल पुत्र रतन निवासी–डीग थाना डीग, जिला भरतपुर के द्वारा फोन से दी। लाश मौके पर पड़ी है। प्रार्थी द्वारा रिपोर्ट लिखाकर कार्यवाही करने की याचना की गयी है।

3. उपरोक्त पत्रावली के समस्त मूल प्रपत्र सत्र परीक्षण सं० 621/2015 राज्य बनाम बाबू आदि की पत्रावली में संलग्न हैं, जिसको न्यायालय द्वारा पूर्व में दिनांक 13.12.2019 को निर्णित किया जा चुका है।

4. वादी मुकदमा की उक्त तहरीर के आधार पर संबंधित थाना पर अपराध संख्या– 180/2012 अंतर्गत धारा–302 भा०द०सं० में अज्ञात के विरूद्ध मुकदमा पंजीकृत हुआ,

Digitally signed by Neelam Dhaka
Date: 2026.03.10 16:35:12 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

चिक प्राथमिकी (कागज सं० 3अ/1 ता 2) तैयार की गयी तथा मुकदमा कायमी का उल्लेख थाने की जी.डी. संख्या 11 समय 6.05 बजे दिनांक 23.07.2012 में किया गया।

5. विवेचक द्वारा विवेचना प्रारंभ करते हुए घटनास्थल पर पहुँच कर मृतक वासी उर्फ वासुदेव के शव का पंचायतनामा दिनांक 23.07.2012 को 08.10 ए.एम. पर भरा गया तथा पंचायतनामा (कागज सं० 4अ/5 ता 6) तथा आवश्यक पुलिस प्रपत्र तैयार कर शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। मृतक वासी उर्फ वासुदेव के शव का पोस्टमार्टम दिनांक–23.07.2012 को 04.20 पी०एम० पर डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा किया गया तथा पोस्टमार्टम रिपोर्ट (कागज सं० 4अ/4) तैयार की गयी।

6. दौरान विवेचना विवेचनाधिकारी द्वारा घटनास्थल का मानचित्र (कागज सं० 4अ/3) तैयार किया गया तथा घटनास्थल से रस्सी व कपड़ा कब्जे में लेकर फर्द कागज सं० 4अ/2 तैयार की गयी, साक्षियों के कथन अंकित किये गये। दौरान विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण के नाम प्रकाश में आये। विवेचना की प्रक्रिया पूर्ण करने के पश्चात विवेचना में एकत्र किए गए साक्ष्य के आधार पर विवेचना पूर्ण करके अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा–302,201,120B/34 भा०दं०सं० आरोपपत्र (कागज सं० 4अ/1) न्यायालय में प्रेषित किया गया।

7. आरोप पत्र प्राप्त होने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मथुरा ने अभियुक्तगण विज्जो उर्फ विजेन्द्र व राधे के विरूद्ध कथित अपराध का प्रसंज्ञान लेते हुये उनको विचारण हेतु आहूत किया। अभियुक्तगण के उपस्थित आने पर उनको अभियोजन अभिलेखों की प्रतियां दी गयी तथा अन्य अभियुक्तगण बाबू, मदन व भिक्को की पत्रावली पूर्व में पृथक की गयी, जिसमें सत्र न्यायालय द्वारा दिनांक 13.12.2019 को निर्णय पारित किया जा चुका है। वर्तमान अभियुक्तगण का केस अनन्यतः सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय पाते हुए आदेश दिनांकित 09.04.2019 के माध्यम से सत्र सुपुर्द कर दिया गया। इस प्रकार वर्तमान वाद की कार्यवाही अभियुक्तगण के बावत संचालित हो रही है।

8. न्यायालय के द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध दिनांक–06.07.2019 को धारा–302/34,201,120B भा०द०स० के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्तगण ने आरोपों से इन्कार किया तथा विचारण की मांग की।

9. अभियोजन की ओर से अपने कथनों के समर्थन में निम्नलिखित साक्षी परिक्षित कराये गये हैः–

पी०डब्लू० 1	ईश्वर सिंह (वादी मुकदमा)
पी०डब्लू० 2	कृष्ण कुमार
पी०डब्लू० 3	पप्पू
पी०डब्लू० 4	निहाला
पी०डब्लू० 5	कुवंरपाल सिंह

अभियोजन की ओर से दिनांक–08.01.2026 को मामले के औपचारिक साक्षीगण डाक्टर, एफ.आई.आर. लेखक व विवेचक की साक्ष्य नहीं करायी गयी। तदनुसार अभियोजन की साक्ष्य समाप्त की गयी।

09. अभिलेखीय साक्ष्य में अभियोजन की ओर से निम्नलिखित प्रपत्रों की छायाप्रतियां संलग्नक की गयी हैं, जो निम्नवत हैं–तहरीर कागज सं० 3अ/3, चिक प्रथम सूचना रिपोर्ट का०सं० 3अ/1ता 2, आरोप पत्र कागज सं० 4अ/1, फर्द बरामदगी कागज सं० 4अ/2, नक्शा नजरी कागज सं० 4अ/3, पोस्टमार्टम रिपोर्ट कागज सं० 4अ/4 व पंचायतनामा कागज सं० 4अ/5 दाखिल किये गये।

10. अभियुक्तगण के कथन अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये, जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन कथानक को गलत व झूंठा बताया और कहा कि हमारा चाचा भूपाली जो गोकुल में रहता है, जो रंजिश बंटवारे के ऊपर बाबू व मदन से चल रही थी, हम उन्हीं के भतीजे हैं, उन्हीं के कारण हमको भी भूपाली ने झूंठा फंसवा दिया व झूंठा फंयाया गया है और कहा कि घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित नहीं की गई है, वह निर्दोष है, उन्हें झूंठा फंसाया गया है।

11. बचाव पक्ष की ओर से बचाव साक्ष्य में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

12. अभियोजन व सफाई पक्ष के द्वारा दिये गये तर्कों के प्रकाश में अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य के विश्लेषण और परीक्षण से पूर्व यह उचित प्रतीत हो रहा है कि मौखिक साक्षियों के बयानों का मुख्य परीक्षांश का उल्लेख किया जाए।

13. ***पी०डब्लू० 1 ईश्वर सिंह (वादी मुकदमा)*** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मेरे पिताजी वासी उर्फ वासदेव पुत्र गंगाधर, उम्र करीब 70 साल, करीब 3 साल से घटना से पूर्व राजीव बंसल निवासी–मथुरा गोकुल महावन मार्ग पर स्थित बृजगाँव गौशाला में चौकीदारी की नौकरी करते थे। दिनांक–22/23.07.2012 की रात में किन्हीं अज्ञात बदमाशों ने मेरे पिताजी के हाथ पैर रस्सी से बाँधकर, गला घोंटकर हत्या कर दी है, जिसकी सूचना गौशाला में नौकरी कर रहे दूसरी चौकीदार निहाल पुत्र रतन निवासी–डीग थाना डीग, जिला भरतपुर ने मुझे फोन पर दी थी, जिसकी रिपोर्ट मैंने थाना महावन में दिनांक 23.07.2012 को दर्ज कराई थी। मूल सत्रवाद 621/2015 बनाम बाबू आज मेरे सामने है, जिसमें संलग्न प्रदर्श क 1 कागज सं० 3अ/3 आज मेरे सामने है, जिसकी छायाप्रति 20क/1 जो मूल छायाप्रति है, जो मेरे हस्तलेख मे है और उस पर मेरे मोबाइल नं० 9680936514 भी लिखा है, पर प्रदर्श क–1 अंकित किया गया।

14. ***पी०डब्लू० 2 कृष्ण कुमार*** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.07.2012 को मेरी ड्यूटी थाना महावन पर कार्यालेख पर थी। उस दिन वादी ईश्वर सिंह पुत्र श्री वासी उर्फ वासुदेव निवासी अऊ थाना डीग जिला भरतपुर राजस्थान मय हमराही हरचरन व किशन सिंह के साथ थाना हाजा पर आकर एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, जिसके आधार पर मेरे द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 180/12 धारा 302 भा०दं०सं० में बनाम अज्ञात में पंजीकृत किया था। तहरीर के आधार पर चिक एफ.आई.आर. अपने हस्तलेख में दर्ज की थी, जिसका खुलासा इस समय रपट नंबर 11 समय 6.05 am दिनांक 23.07.2012 को किया था और घटना की सूचना आरटी सेट द्वारा उच्च अधिकारियों को दी गई। नकल चिक की फोटो कॉपी पत्रावली पर कागज संख्या 20क/10 है। रिकॉर्ड रूम से मूल पत्रावली को न्यायालय में मंगाकर फोटो कॉपी का मिलान कर और यह साबित कर की जो फोटो कॉपी पत्रावली पर है, मूल एफ.आई.आर. से मिलान कर, चिक एफ.आई.आर. पर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया। जीडी पत्रावली पर कागज

सं० 20क/20 है। जीडी का भी मूल पत्रावली से मिलान कर प्रदर्श क–3 अंकित किया गया। चिक एफ.आई.आर. व जीडी को आज मैं प्रमाणित करता हूं, यही मेरा बयान है।

15. ***पी०डब्लू० 3 पप्पू*** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि मृतक वासी उर्फ वासुदेव को मैं नहीं जानता था, उसकी हत्या किसने की मुझे नहीं मालूम, मैं विज्ञो उर्फ विजेन्द्र को नहीं जानता हूँ। हत्या के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।

16. ***पी०डब्लू० 4 निहाला*** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 23.07.2012 को मैं टाटम्वरी आश्रम महावन में नौकरी करता था। दिनांक 22.07.2012 की रात को किसी वासी की हत्या हुई थी, मैंने किसी को किसी वासी की हत्या करते नहीं देखा और न ही हाजिर अदालत विज्ञो व राधे को किसी वासी की हत्या करते देखा। मैं हाजिर अदालत विज्ञो व राधे को न पहले जानता था, न आज जानता हूँ कि ये लोग कहा के है।

17. ***पी०डब्लू० 5 कुवंरपाल सिंह*** ने अपनी मुख्य परीक्षा में सशपथ कथन किया है कि दिनांक 22/23.07.2012 की बात है, रात को मैं अपने घर पर सो रहा था। उस दिन मैंने किसी भी व्यक्ति की टूटी फूटी अधूरी आवाज नहीं सुनी। मैंने उस दिन निहाल नाम के किसी व्यक्ति को दोनों हाथ रस्सी से बधे व साफीनुमा कपड़े से बधे नहीं देखा था। मैं निहाल नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता हूं। मुझे निहाल नाम के किसी व्यक्ति ने ये बात नहीं बतायी थी कि गांव के चौकीदार वासी को कुछ लोगों ने मारकर फेंक दिया है। मैं अपने भतीजे पप्पू व गुजराती मन्दिर के चौकीदार गिर्राज पहलवान के साथ निहला नाम के व्यक्ति को साथ लेकर ग्राम चौकीदार वासी उर्फ वासुदेव को ढूढ़ने नहीं गया था। मैने चौकीदार वासी को हाथ पैर बंधे मृत स्थिति में नहीं देखा था। मैंने इस घटना की कोई सूचना चौकीदार वासी के किसी परिवारजन को नहीं दी थी।

18. मैंने विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी एवं अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी तथा पत्रावली का सम्यक रूप से अवलोकन किया।

19. अभियोजन की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के पिता की आपराधिक षडयंत्र के तहत गला घोंटकर हत्या कर दी तथा हत्या करने के उपरांत साक्ष्य को नष्ट कर दिया। उक्त अभियोजन कथानक का समर्थन परिस्थितिजन्य साक्षियों द्वारा साबित किया गया है। बचाव पक्ष ने तो अभियोजन साक्षियों से ऐसा कोई तथ्य दौरान जिरह निकाल पाया है, जिससे अभियोजन कथानक को बल न मिलता हो और न ही उसके द्वारा ऐसी कोई साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है, जिससे अभियोजन कथानक को खण्डित किया जा सके। अतः चाहा कि अभियुक्तगण को दण्डित किया जाये, क्योंकि उनके द्वारा हत्या जैसा गंभीर अपराध कारित किया गया है।

20. बचाव पक्ष की ओर से तर्क प्रस्तुत किया गया कि वादी मुकदमा ने अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित करते हुये, होने के तथ्य को न्यायालय के समक्ष नहीं रखा है, क्योंकि अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित ही नहीं की गयी। अभियोजन की ओर से पत्रावली पर जो साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है उसके आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध विरचित आरोप युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित नहीं है। वादी मुकदमा के द्वारा रंजिश के कारण झूंठा मुकदमा कायम करवा दिया है। अभियुक्तगण द्वारा मृतक की हत्या कारित नहीं की है। अभियुक्तगण पूर्णरूपेण निर्दोष है। प्रश्नगत मामले में किसी हेतुक को भी अभियोजन ने सिद्ध नहीं किया है

और न ही किसी भी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा घटना को देखा गया है, न ही परिस्थितिजन्य साक्ष्य के माध्यम से अभियोजन अपने कथानक को सिद्ध कर पाया है। उल्लिखित किया गया है कि विवेचक के द्वारा सही प्रकार से विवेचना नहीं की गयी है। विवेचक ने घोर लापरवाही करते हुये निर्दोष लोगों के विरूद्ध आरोप पत्र प्रेषित करके उन्हें हत्या जैसे गंभीर मामले में आरोपित किया है, जिससे उन्हें एक झूंठे मामले में विचारण को विगत वर्षों से सामना करना पड़ा है। अतः चाहा कि निर्दोष अभियुक्तगण को दोषमुक्त किया जाये।

21. उपरोक्त तथ्यों तथा प्रस्तुत किये गये तर्कों के प्रकाश में न्यायालय को अन्तर्गत धारा 354 ख दण्ड प्रक्रिया संहिता इस बिन्दु पर विचार करना है–

1. क्या अभियुक्तगणों द्वारा मृतक की गला घोंटकर हत्या कारित की गयी?
2. क्या साक्ष्य के विलोपन के उद्देश्य से मृतक की हत्या करने के उपरांत साक्ष्य को विलोपित करने का प्रयास अभियुक्तगणों द्वारा किया गया?
3. क्या प्रश्नगत मामले में कोई हेतुक घटना कारित करने के लिए विद्यमान है?

22. प्रश्नगत मामले को देखा जाये तो प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ वादी मुकदमा ईश्वर सिंह के द्वारा दर्ज करायी गयी है। प्रश्नगत मामले में वाद विवेचना अभियुक्तगण को नामित किया गया और इन्हीं के संबंध में विचारण चला, प्रश्नगत मामले में चूँकि कोई व्यक्ति बतौर अभियुक्तगण नामित नहीं है, न ही इस घटना को किसी चक्षुदर्शी साक्षी द्वारा अभियोजन ने देखा जाना बताया है।

23. प्रश्नगत प्रकरण में जहाँ धारा–302 भा०दं०सं० व धारा–201 भा०दं०सं० की बात है। इस संबंध में सर्व प्रथम यह देखना होगा कि क्या उक्त घटना अभियुक्तगणों द्वारा षडयंत्र के तहत की गयी है और अगर षडयंत्र के तहत की गयी है तो उपरोक्त लगाये गये आरोप के अलावा धारा–120 बी के अन्तर्गत भी अभियुक्तगण दण्डित किये जायेंगे।

24. <u>धारा–120 बी भा०दं०सं०</u> आपराधिक षडयंत्र के दण्ड को प्रावधानित करता है। इस धारा के अंतगत अभियोजन को सिद्ध करना होगा कि दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा (1) कोई अवैध कार्य किया गया,

(2) कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है , अवैध साधनों द्वारा, करने या करवाने को अभियुक्तगण सहमत होते हैं तब ऐसी सहमति आपराधिक षडयंत्र के अंतर्गत आयेगी।

षडयंत्र गठित करने के लिए दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सहमति होनी आवश्यक है सहमति का अर्थ है एक विशिष्ट वस्तु के संदर्भ में दो मस्तिष्कों का सम्मिलन।

25. प्रश्नगत मामले में देखा जाये तो जो अभियुक्तगण है वह दो हैं, क्या उनके द्वारा आपराधिक षडयंत्र के तहत घटना को अंजाम दिया गया है। इस बिन्दु पर पृथक रूप से सर्वप्रथम धारा–302 भा०दं०सं० का आरोप जो अभियुक्तगणों पर लगाया गया है उस पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत की गयी साक्ष्य की संविक्षा की जायेगी। धारा–302 भा०दं०सं० का जो आरोप प्रश्नगत मामले में लगाया गया है वह परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के लिए यह आवश्यक है कि समस्त घटनाक्रम की कडिया इस प्रकार से एक दूसरे से जुड़ी हो, जो अभियुक्तगणों की दोषिता की ओर इंगित करती हो। इस संबंध में **माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त शरदविरदी चन्द्र शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 सुप्रीम कोर्ट केसेस (क्रिमिनल 487)**– को देखा जाये तो इसमें

प्रतिपादित परिस्थितिजन्य साक्ष्य की संबिक्षा के लिए 05 मार्ग दर्शक सिद्धान्त प्रतिपादित किये गये हैः–

(i)– वे परिस्थितियाँ जिनसे अभियुक्त की दोषिता का निष्कर्ष निकाला गया है पूरी तरह सिद्ध होना चाहिए, परिस्थितियां प्रत्येक स्थिति में सिद्ध होनी चाहिए। यह पर्याप्त नहीं होगा कि ये परिस्थितियां सिद्ध हो सकेगी।

(ii)– सिद्ध परिस्थितियां तथा तथ्य इस प्रकार से सिद्ध होने चाहिए कि ये केवल अभियुक्त की दोषिता की सम्भावनाओं से सुसंगत हो। दूसरे शब्दों में यह कहा जायेगा कि ये परिस्थितियां अभियुक्त की दोषिता के सिवाय कोई अन्य स्पष्टीकरण देने के लिए सम्भव न हो।

(iii)– परिस्थितियां निश्चायक प्रकृति व प्रवृति की होनी चाहिए।

(iv)– इन परिस्थितियों को उस प्रत्येक सम्भावित सम्भावनाओं के सिवाय जो अभियुक्त के विरूद्ध दोषिता के लिए सिद्ध होनी चाहिए।

(v)– इन परिस्थितियों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि ऐसा कोई तर्क पूर्ण आधार न बचे जो अभियुक्त की निर्दोषिता से सुसंगत हो अर्थात प्रत्येक मानवीय अधिसम्भावनाओं में यह (श्रृंखला) दर्शित करे कि आपराधिक कृत्य अभियुक्त द्वारा ही किया गया है।

26. अभियोजन द्वारा जो परिस्थितिजन्य साक्ष्य प्रस्तुत की गयी है। उस के संबंध में अभियोजन की ओर से पी०डब्लू०–1 के रूप में ईश्वर सिंह को परीक्षित कराया गया है, जो प्रश्नगत मामले के इत्तलाकर्ता/वादी है। उक्त साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी मुख्य परीक्षा के बयान में अज्ञात बदमाशों द्वारा उसके पिता के हाथ पैर रस्सी से बांधकर गला घोंटकर हत्या करने का कथन किया है तथा यह भी उल्लेखित किया गया है कि घटना की सूचना गौशाला में नौकरी कर रहे दूसरे चौकीदार निहाल ने उसे फोन पर दी थी, जिसकी रिपोर्ट उसने थाना महावन में दर्ज करायी थी।

उपरोक्त साक्षी पी.डब्लू.1 ने अपनी प्रतिपरीक्षा साक्ष्य में कथन किया है कि मेरी शादी गांव कमई से हुई है। अभियुक्त विज्ञो व राधे भाई भाई है और गांव कमई के है। मैं इन दोनों भाइयों को पहले से अच्छी तरह जानता हूँ मेरे पिता की हत्या के मामले में हाजिरी अदालत विज्ञो व राधे जो आज नहीं आया है का कोई हस्तक्षेप या मेरे पिता जी की हत्या का आरोप मेरी जानकारी में आज तक नहीं आया है। विज्ञो व राधे मेरे पिता की हत्या में कहीं नहीं थे, निहाल सिंह जिसने मेरे पिता की हत्या की सूचना दी थी उसने भी मुल्जिमान राधे व विज्ञो के नाम मुझे नहीं बताये थे। मैंने कभी भी पुलिस को अभियुक्तगण राधे व विज्ञो के नाम नहीं बताये थे और न ही इनके नाम आज तक मेरी जानकारी में आये। उपरोक्त मुल्जिमान के नाम मेरे पिता की हत्या में कैसे लिख दिये मुझे नहीं पता। मेरी जानकारी में आज भी राधे व विज्ञो मेरी पिता की हत्या में निर्दोष है।

27. साक्षी के उपरोक्त बयान को देखा जाये तो उक्त साक्षी ने प्रथम सूचना रिपोर्ट दूसरे चौकीदार निहाल द्वारा फोन पर घटना बताये जाने के आधार पर लिखाया जाना कहा है तथा मुल्जिमान के नाम उसके पिता की हत्या में कैसे लिख दिये गये के तथ्य से इंकार किया गया है। स्वीकृत रूप से उपरोक्त मुल्जिमानों द्वारा उसके पिता की मृत्यु कारित किये जाने के तथ्य से अभियोजन साक्षी द्वारा स्पष्टतः इंकार किया गया है। इस प्रकार उक्त साक्षी ने मुख्य

परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जो अभियोजन कथानक का समर्थन करता हो।

28. अभियोजन की ओर से घटना को साबित करने के लिए पी०डब्लू०–3 के रूप में साक्षी पप्पू को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियाजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अपने मुख्य बयान में उल्लेखित किया है कि मृतक वासी उर्फ वासुदेव को मैं नहीं जानता था, इसकी हत्या किसने की मुझे नहीं मालूम। मैं विज्ञो उर्फ विजेन्द्र को नहीं जानता हूँ हत्या के संबंध में मुझे कोई जानकारी नहीं है।" इस साक्षी को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है। साक्षी से न्यायालय की अनुमति से जिरह की गयी तो साक्षी ने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान से इंकार किया। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जो अभियोजन कथानक का समर्थन करता हो।

29. इस प्रकार अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–4 के रूप में निहाल को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियाजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अपने मुख्य बयान में उल्लेखित किया है कि "उसने दिनांक 22.07.2012 की रात को किसी को वासी की हत्या करते नहीं देखा और न ही हाजिर अदालत विज्ञो व राधे को किसी वासी की हत्या करते देखा। वह हाजिर अदालत विज्ञो व राधे को न पहले जानता था, न आज जानता है कि ये लोग कहा के है।" इस साक्षी को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है। साक्षी से न्यायालय की अनुमति से जिरह की गयी तो साक्षी ने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान से इंकार किया। बचाव पक्ष की ओर से साक्षी से जिरह करने पर कहा है कि हाजिरी अदालत विज्ञो व राधे को देखकर कहा कि मैंने किसी वासी की हत्या करते इन्हें न देखा और न ही वह इनको पहले जानता था। और आज भी जानता है। उसने कोई घटना नहीं देखी। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जो अभियोजन कथानक का समर्थन करता हो।

30. इसी प्रकार अभियोजन की ओर से साक्षी पी०डब्लू०–5 के रूप में कुवंर पाल सिंह को परीक्षित कराया गया है। उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियाजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अपने मुख्य बयान में उल्लेखित किया है कि "घटना की दिनांक 22/23.07.2012 को उसने किसी व्यक्ति की टूटी फूटी अधूरी आवाज नहीं सुनी, न उसने उस दिन निहाल नाम के किसी व्यक्ति को दोनों हाथ रस्सी से बंधे व साफीनुमा कपड़े से बंधे देखा, वह निहाल नाम के किसी व्यक्ति को नहीं जानता है। उसे निहाल नाम के किसी व्यक्ति ने यह बात नहीं बताई कि गांव के चौकीदार वासी को कुछ लोगों ने मारकर फेंक दिया है, न ही वह चौकीदार वासी उर्फ वासुदेव को ढूढने गया, न ही उसने चौकीदार वासी को हाथ पैर बंधे मृत स्थिति में देखा। " इस साक्षी को अभियोजन ने पक्षद्रोही घोषित किया है। साक्षी से न्यायालय की अनुमति से जिरह की गयी तो साक्षी ने धारा 161 दं०प्र०सं० के बयान से इंकार किया। इस प्रकार उक्त साक्षी ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में ऐसा कोई कथन नहीं किया है, जो अभियोजन कथानक का समर्थन करता हो।

31. जहाँ तक अभियोजन की ओर से परीक्षित अन्य साक्ष्य पी०डब्लू०–2 सेवानिवृत्त उपनिरीक्षक कृष्ण कुमार की बात है यह औपचारिक साक्षी है। उक्त साक्षी ने अपने मुख्य बयान में रिकार्ड रूप में मूल पत्रावली न्यायालय में मंगाकर फोटोकॉपी का मिलान कर यह

साबित किया गया कि जो फोटोकॉपी पत्रावली पर है मूल एफ०आई०आर० से मिलान कर चिक प्रथम सूचना पर प्रदर्श क–2 अंकित किया गया, जी.डी. को प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है।

32. साक्षी पी०डब्लू० 2 ने प्रतिपरीक्षा के बयान में यह उल्लिखित किया है कि मेरे पास दिनांक–23.07.2012 को लिखित रिपोर्ट लेकर के ईश्वर सिंह आया था, जिसके साथ कौन कौन आये थे इस समय मुझे ध्यान नहीं है। अंदाज से सुबह 6.00 बजे आये थे उसमें रिपोर्ट में अज्ञात में रिपोर्ट दर्ज् कराया मारने वाले का नाम न रिपोर्ट में लिखकर लाया न ही मौखिक बताया था। मुझे यह भी नहीं बताया था कि घटना किसने कारित की है और न ही घटना कारित करने वाले पर किसी पर शक होने का बताया था। घटना देखने वाले का नाम भी नहीं बताया था, न ही यह बताया कि घटना किसने देखी है। केवल इतना बताया था कि मेरे पिता जी हत्या कर दी है कैसे हत्या की है यह भी नहीं बताया। तहरीर के आधार पर उसने रिपोर्ट अंकित कर दी थी।

इस प्रकार से देखा जाये तो साक्षी द्वारा अपने बयान में मात्र अभियोजन प्रपत्रों को साबित किया गया है। इस साक्षी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्तगण के प्रश्नगत घटना में सम्मिलित होने का तथ्य सिद्ध नहीं होता।

33. अभियोजन अपनी कथानक से यह सिद्ध करने में असफल रहा है कि जिस अभियुक्तगण के संबंध में विचारण चला है उसकी संलिप्तता प्रश्नगत प्रकरण में रही है। अभियोजन साक्षीगणों द्वारा घटना अभियुक्तगण द्वारा कारित की गयी हो ऐसा कोई बयान अपने साक्ष्य में नहीं दिया गया है और अन्यत्र साक्ष्य पेश की गयी है। उल्लेखनीय है कि प्रश्नगत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध दर्ज करायी गयी थी, किन्तु बाद विवेचना विवेचक द्वारा अभियुक्तगण का नाम प्रकाश में आया है, किन्तु अभियुक्तगण के संबंध में अभियोजन साक्षीगण द्वारा कोई बयान नहीं दिया गया है।

34. न्यायिक नजिर **दिगम्बर वैष्णव एवं अन्य बनाम छत्तीसगढ़ राज्य 2019 सी०आर०एल०जे० 1901** का उल्लेख करना न्यायालय समीचीन पाता है जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि सबूत का भार अभियोजन पर है और यह भार कभी भी शिफ्ट नहीं होगा। न्यायालय सम्भावनाओं के आधार पर सजा नहीं कर सकती चाहे परिस्थितियां जितनी भी संदिग्ध हो। इसी प्रकार **रीना हजारिका बनाम असम राज्य 2019(1) जे०सी०आर०सी० 121 सुप्रीम कोर्ट** ने उक्त न्यायिक नजीर के प्रस्तर 8 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि परिस्थितियों की कडियो में एक निरन्तरता होनी चाहिए जिससे अभियुक्तगणों की संलिप्तता साबित हो। मात्र अंतिम बार देखे जाने के आधार पर अभियुक्तगणों को दण्डित नहीं किया जा सकता।

35. उपरोक्त अभियोजन साक्ष्य तथा न्यायिक नजीर के प्रकाश में स्पष्ट है कि इस कारण से प्रश्नगत मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य के साथ–साथ परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भी आधारित हो जाता है। प्रत्यक्ष साक्षीगण द्वारा अभियुक्तगण के द्वारा घटना कारित करने से इंकार किया गया है। वहीं परिस्थितिजन्य साक्ष्य के संबंध में जो आवश्यक अव्यय हत्या करने के संबंध में है, जिसका उल्लेख उपरोक्त न्यायिक निर्णयन में किया गया है उनमें से कोई भी अव्यय अभियोजन सिद्ध नहीं कर पाया है, न तो मृतक को अभियुक्तगण के साथ अन्तिम बार देखे जाने का साक्ष्य पत्रावली पर है और न ही घटना कारित करने का कोई हेतुक विद्यमान है।

अतः प्रश्नगत मामले में स्पष्ट है कि अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसरण में हत्या कारित करने व षडयंत्र के तहत साक्ष्य के विलोपन के उद्देश्य से मृतक की लाश को नष्ट किया जाने के संबंध में जो आरोप लगाया गया है वह संदेह की परिधि में है। अतः अभियुक्तगण को उसमें दण्डित नहीं किया जा सकता।

36. अभियुक्तगण द्वारा अपने बयान अंतर्गत धारा–313 दं०प्र०सं० में स्वयं को निर्दोष होने की बात कहीं गयी है और मुकदमा को गलत चलने की बात कहीं गयी है। अभियोजन द्वारा अपनी साक्ष्यधीन कथानक को सिद्ध नहीं किया गया है।

37. इस प्रकार अभियोजन की ओर से पेश किये गये गवाहों के बयानों के विश्लेषण एवं न्यायिक नजीरों व तर्कों के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष का है कि अभियोजन अपने कथानक को युक्ति–युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है। अतः न्यायालय के मत में अभियुक्तगण विज्ञो उर्फ विजेन्द्र व राधे को संदेह का लाभ देते हुए आरोप अन्तर्गत धारा–302/34, 201, 120B भा०द०सं० में दोषमुक्त किया जाना न्यायसंगत होगा।

आदेश

अभियुक्तगण विज्ञो उर्फ विजेन्द्र व राधे को सत्रवाद संख्या–236/2019 सम्बन्धित मु०अ०सं०–180/2012 अन्तर्गत धारा 302/34, 201, 120B भा०द०सं० थाना–महावन, जिला मथुरा में संदेह का लाभ प्रदान करते हुए दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्तगण जमानत पर है, उनके व्यक्तिगत बन्धपत्र व प्रतिभूगण के जमानतनामें निरस्त करते हुये, उन्हें उनके जमानत दायित्व से निर्मुक्त किया जाता है।

परन्तु अभियुक्तगण द्वारा 437ए द०प्र०सं० के अनुपालन में प्रस्तुत किये गये व्यक्तिगत बन्धपत्र व जमानतदारों के जमानतनामे अगले छः माह के लिये प्रभाव में होंगे।

दिनांक–10.03.2026

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 6, मथुरा।

आज यह निर्णय व आदेश मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर सुनाया गया।

दिनांक–10.03.2026

(श्रीमती नीलम ढाका)
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या 6, मथुरा।
Id No. UP 2653